भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान – 304501

क्रमांक : 6(332)एसपी / 2014 / 1248 दिनांक 21.07.2018

श्री कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री लादू मीणा
चाँदा की ढाणी, चाँदसेन
तह0 मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान

विषय : संस्थान के पशु स्वास्थ्य विभाग के सैक्टर पर पशुओं की देखभाल, तुलाई, बाडे की **सफाई, रात्रि के समय** पशुओ की निगरानी व देखभाल करना, समय–समय पर वैज्ञानिकों द्वारा बताये गये कार्यों का निष्पादन करने से **सम्बन्धित कार्य को** वार्षिक अनुबन्ध / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 07.07.2018 में प्रस्तुत दर रूपये 12600.00 प्रतिमाह सभी करों एवं खर्चों रहित को सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है। अतः निम्न लिखित नियम व शर्तो के **आधार** पर **आपको** कार्यादेश जारी किया जाता है–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक व समय पर पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से वर्तमान दर, नियम व शर्तो पर आगे भी बढ़ाई जा सकती है। कार्य सन्तोषजनक नही रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रद्द किया जा सकता है।
2. ठेकेदार / अनुबन्धकर्ता को पशु स्वास्थ्य विभाग के सैक्टर पर पशुओं की देखभाल, तुलाई, बाडे की सफाई, रात्रि के समय पशुओ की निगरानी व देखभाल करना, समय–समय पर वैज्ञानिकों द्वारा बताये गये कार्यो को पूर्ण निष्ठा से करना होगा।
3. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर / प्रतिनिधि को देनी होगी। यदि **अनुबन्धकर्ता** की असावधानी से या बिमारी की सूचना समय पर न देने से जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी **अनुबन्धकर्ता की होगी**। उसका हर्जाना जो भी किताबी कीमत होगी भरना पड़ेगा। भेडों / मेढ़ों की चराई संतोषजनक न होने पर एवं **उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता** के भुगतान के बिल मे से वजन के अनुपात में कटोती की जायेगी।
4. सैक्टर पर स्थित भेड़ों / मेढ़ों / मेमनों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी तथा भेड़ों / मेढ़ों / **मेमनों** के खो जाने या चोरी हो जाने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। जंगली जानवरों द्वारा भेड़ / मेढ़ों का शिकार हो जाने पर, सूचना उपरान्त, विभागीय / स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंषा पर भेड़ों / मेढ़ों की किताबी कीमत (बुक वेल्यू) की कटौती, **चरवाहे की लापरवाही** / सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी। खोने / चोरी हो जाने की स्थिति मे जानवरों की किताबी कीमत का **दो से चार गुना** हर्जाना भरना पड़ेगा, तथा इस हर्जाने की राशि को 15 दिन की निश्चित अवधि में जमा कराना होगा अन्यथा **यह राशि को उनके** देय बिल मे से काट ली जायेगी।
5. भेड़ों / मेढ़ों / ममनों के बाडों / ट्रफो की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों / ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी।
6. निम्नलिखित कार्यो के लिये अतिरिक्त श्रमिकों / मजदूरों की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी हैं–
   (1) बीमार जानवरो के ईलाज व देखभाल / टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सैक्टर पर **बीमार जानवरों के लिये** दवा व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा।
   (2) भेडों / मेढ़ों को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। ऊन कल्पन से **पहले साफ पानी से** नहलाना तथा उक्त कार्य के लिये डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा। जानवरों को नहलाते समय **लापरवाहीवश** यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए उपरोक्त (निर्धारित) हर्जाना वसूल किया जावेगा।
   (3) आवश्यकतानुसार भेड़ों / मेढ़ों के मेमनों / बच्चो का वजन करवाना, ऊन कल्पन के दौरान जानवरों को सेड में पहुँचाना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुरों एवं उनके बाल काटना, साथ ही **संक्रमण से बचाने के लिये** नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी / प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।
   (4) वर्ष में कम से कम दो बार भेडों के सभी बाडों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 8 इन्च मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिट्टी डालनी होगी। बाडों में ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी डालते समय बाडों में लगी हुई चेनलिंक फेन्सिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिये **यदि किसी** तरह का नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल मे से की जायेगी जिसके लिये **अनुबन्धकर्ता** स्वयं **जिम्मेदार** होगा।
7. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों / अधिकारियों के साथ **शिष्टता का** व्यवहार करना होगा।
8. अनुबन्धकर्ता या उसके **प्रतिनिधि** / मजदूरों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार के **नुकसान से बचाना** होगा। यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी या सूचना प्रभारी सैक्टर को देनी होगी।
9. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर / मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
10. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर / आयकर (Service Tax/Income Tax) जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जायेगी।
11. भेडो / मेढ़ों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता / उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

12. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे. कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।

13. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।

14. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

15. अनुबन्ध की अवधी में अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की व उसके आस–पास की समुचित निगरानी व सुरक्षा करनी होगी: साथ ही सैक्टर के आस–पास आने वाले आवारा जानवरों को भगाते हुए प्रक्षेत्र/सेक्टर की सुरक्षा करनी होगी। अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की व उसके आस–पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।

16. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 15–20 दिन में किया जावेगा।

17. आप द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि संतोषजनक समाप्त होने के उपरान्त नियमानुसार लौटाई जावेगी। कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में इस जब्त भी किया जा सकता है।

18. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी. साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा

19. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु स्वास्थ्य विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

20. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार करना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा

21. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

22. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा: ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

23. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(नीरज तँवर)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. प्रभारी, पशु स्वास्थय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करले कि ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधियों का भुगतान प्रतिमाह भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित दरों पर उनकी उपस्थिति में कर दिया गया है जिसे सत्यापित करते हुए किये गये भुगतान की प्रति श्रीमान सक्षम अधिकारी को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण (Maintain) को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें तथा ठेकेदार द्वारा लगाये गये प्रतिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा तुरन्त क्रय अनुभाग को सूचित करें। सक्षम अधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये है कि सेक्टर पर किये जाने वाले कार्यों की मोनिटरिंग अच्छी प्रकार से की जावें।
2. आहरण व संवितरण अधिकारी
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. सर्तकता अधिकारी
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू.
7. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय रूपये 1,51,200/- वित्तीय स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 6(332)एसपी/2014 नोट शीट पेज नं.10 पर दिनांक 21.07.2018 को प्रदान की हैं। यह व्यय वित्त वर्ष 2018–19 में संस्थान को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित बजट से वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक अधिकारी